न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिह पुरोहित (आर0ए0एस0)
अपील सं0 : 01 सन 2020
अनवान :—

1. सरबती पुत्री मुकनाराम पत्नी पुरखाराम जाति मेधवाल निवासी हाल करणपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

अपीलान्ट

बनाम

1. रेसमी देवी पत्नी स्व बिरबलराम जाति मेधवाल निवासी बडबिराना हाल चक 2 केएसपी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. पालाराम 3 साहबराम 4. सीमा 5. तुलसीदेवी 6 सुलोचना पुत्र व पुत्रीयान बिरबलराम जाति मेधवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
7 सुनीता 8. मुकेश 9 भवानी शंकर 10 सुमित्रा 11 जमना 12 मोनिका पुत्र व पुत्रीयान कृष्ण पुत्र बिरबलराम जाति मेधवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर
13. प्रेमकुमार 14 प्रताप 15 बंशीलाल 16 किताब 17 लिछमा 18 सरस्वती 19 हीरकृष्ण पि0 माता शान्ति पुत्री मुकनाराम जाति मेधवाल हाल थालडका तहसील नोहर
20 स्नेहा 21 हनी पुत्री व पुत्रीया राधाकृष्ण पुत्र शान्ति पुत्री मुकनाराम नाबालिग जरिये कुदरती बली दादा बिरूराम पुत्र मामचन्द जाति मेधवाल निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
22 मैना पत्नी देवीलाल उर्फ पप्पू पुत्र शान्ति पुत्री मुकनाराम जाति मेधवाल निवासी हाल चाईया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
23 सरोज 24 रोशनी 25 शारदा 26 धापा 27 दर्शना 28 मदन पुत्र व पुत्री देवीलाल उर्फ पप्पू पुत्र शान्ति पुत्री मुकनाराम जाति मेधवाल निवासी हाल चाईया तहसील रावतसर
29 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर
30 सरपंच ग्राम पचायत बडबिराना तहसील नोहर।
31.हीराराम पुत्र मुकनाराम जाति मेधवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 525 दिनांक 16.06.1999 को अपास्त कर पूर्व स्थिति बहाल कर विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करने बाबत

उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री रविन्द्र गोदारा अधि. रेस्पोडेन्टस
श्री सजय कुमार अधिव रेस्पोडेन्टस
श्री भरतसिह बैनीवाल अधि रेस्पोडेन्टस

सत्यमेव जयते

निर्णय दिनांक :— 29/04/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत 75 एल.आर.एक्ट के तहत इस आश्य की पेश की गई है कि स्व मुकनाराम व गुमानाराम दो भाई थे गुलाराम की मौत युवावस्था में होने के कारण गुलाराम की पत्नी ने मुकनाराम से करेवा कर लिया गुलाराम के एक पुत्र मनीराम गोद में था मुकनाराम ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत दिनांक 19.05. 1986 को बिरबलराम पुत्र मुकनाराम मनीराम पुत्र गुलाराम बहिक रोही मौजा बडबिराना के खसरा न0 185 की 11.14 बीघा खसरा न0 190 की 15 बीघा , खसरा न0 220 की 28.13 बीघा कुल 55.07 बीघा भूमि की किया जिसका अस्वीकृत नामान्तकरण संख्या 525 दिनांक 16. 06.1999 को सरपंच ग्राम पंचायत बडबिराना द्वारा तस्दीक किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:49:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वसीयत दिनांक 19.05.1986 जिसकी रूह में अपीलाकृत इन्तकाल दर्ज हुआ उसके विरूद्व माननीय अपर जिला एवं न्यायाधीश संख्या 2 नोहर जिला हनुमानगढ में बिरबल बनाम मनीराम वाद प्रस्तुत किया गया व दिनांक 16.08.2019 को वाद स्वीकार कर वसीयत दिनांक 19.5.1986 को अपास्त कर दिया गया अर्थात वसीयतामा दिनांक 16.5.196 को निरस्त होने के कारण अपीलाकृत आदेश स्वंत ही निरस्त होकर पुन पूर्व स्थिति बहाल हो जाती है किन्तु रेस्पोडेन्टस ने इंतकाल को खारीज न करवाकर मौजुदा रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा रखा है जिससे अपीलान्ट के हकों का हनन होता है क्योकि वसीयत निरस्त होने पश्चात अपीलान्ट जो मुकनाराम की पुत्री है के नाम विरास्तन नामान्तकरण से भूमि आती है इसलिये अपीलान्ट के हकों को हनन होता है।

अपीलकृत आदेश का ज्ञान अपीलान्ट को कभी भी नही रहा था तथा वसीयत निरस्त करने का ज्ञान अपीलान्ट को नही था दिनांक 20.1.2020 को अपीलान्ट के भतीजे ने निर्णय की नकल लाकर देने पर वसीयत दिनांक 19.5.1986 खारीज हो चुकी है का ज्ञान हुआ और प्रमाणित प्रति लेकर अपील पेश की गई है इसलिये अपील ज्ञान से अन्दर मियाद है

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रोही मौजा बडबिराना का इन्तकाल संख्या 525 दिनांक 19.06.1999 को माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 2 नोहर जिला हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 7.8.19 द्वारा वसीयत निरस्त करने के कारण उक्त नामान्तकरण निरस्त किया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश फरमावे।

अपीलान्ट की अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 12 , रेस्पोडेन्टस संख्या 13 ,14 ,17 ,18 ,22 ,28 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये शेष रेस्पोडेन्टस को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी

वकील अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की मुकनाराम ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत दिनांक 19.05.1986 को बिरबलराम पुत्र मुकनाराम, मनीराम वल्द गुलाराम बहिब रोही मौजा बडबिराना के खसरा न0 185 की 11.14 बीधा खसरा न0 195 की 15 बीधा , खसरा न0 220 की 28.13 बीधा कुल 55.07 बीधा भूमि की किया जिसका अपीलाकृत नामान्तकरण संख्या 525 दिनांक 16.06.1999 को सरंपच ग्राम पंचायत बडबिराना द्वारा तस्दीक किया गया।

वसीयत दिनांक 19.05.1986 जिसकी रूह में अपीलाकृत इन्तकाल दर्ज हुआ उसके विरूद्व माननीय अपर जिला एवं न्यायाधीश संख्या 2 नोहर जिला हनुमानगढ में बिरबल बनाम मनीराम वाद प्रस्तुत किया गया व दिनांक 16.08.2019 को वाद स्वीकार कर वसीयत दिनांक 19.5.1986 को अपास्त कर दिया गया अर्थात वसीयतामा दिनांक 16.5.196 को निरस्त होने के कारण अपीलाकृत आदेश स्वंत ही निरस्त होकर पुन पूर्व स्थिति बहाल हो जाती है वसीयत दिनांक 19.05.1986 निरस्त होने के कारण वसीयत के आधार पर दर्ज किया गया नामान्तकरण संख्या 525 स्वत ही निरस्त हो जाता है अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:49:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 525 निरस्त किया जाकर उससे पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल की जाने के आदेश फरमावें।

रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 1 ,13 ,14 ,17 ,18 ,22 ,28 ने निवेदन किया की अपीलान्ट के द्वारा अपील देरीना से पेश की गई है देरीना का स्पष्ट कारण भी अंकित नही किया गया है अपीलान्ट की अपील मियाद में नही होने के कारण खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार

मुकनाराम ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत दिनांक 19.05.1986 को बिरबलराम पुत्र मुकनाराम, मनीराम वल्द गुलाराम बहिब रोही मौजा बडबिराना के खसरा न0 185 की 11.14 बीधा खसरा न0 195 की 15 बीधा , खसरा न0 220 की 28.13 बीधा कुल 55.07 बीधा भूमि की गई थी वसीयत के अनुसार अपीलाकृत नामान्तकरण संख्या 525 दिनांक 16.06.1999 को सरपंच ग्राम पंचायत बडबिराना द्वारा तस्दीक किया गया अर्थात वसीयत दिनांक 19.05.1986 के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई थी।

वसीयत दिनांक 19.05.1986 के विरूद्व माननीय अपर जिला एवं न्यायाधीश संख्या 2 नोहर जिला हनुमानगढ में बिरबल बनाम मनीराम वाद प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 16.08. 2019 को वाद स्वीकार कर वसीयत दिनांक 19.5.1986 को अपास्त कर दिया गया अर्थात वसीयतामा दिनांक 16.5.196 को निरस्त कर दिया गया था जो निर्णय की प्रति से स्पष्ट है।

मुकनाराम की वसीयत दिनांक 19.05.1986 को माननीय अपर जिला एवं न्यायाधीश संख्या 2 नोहर जिला हनुमानगढ ने अपने निर्णय दिनांक 16.08.2019 द्वारा वसीयत निरस्त की जा चुकी है वसीयत के आधार पर दर्ज किया गया नामान्तकरण संख्या 525 दिनांक 19.06. 1999 स्वत ही निरस्त हो जाता है उक्त नामान्तकरण के आधार पर किया गया अंकन भी स्वत ही निरस्त हो जाता है इसलिये नामान्तकरण संख्या 525 दिनांक 19.05.1999 को निरस्त किया जाकर उससे पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल की जानी न्यायोचित है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 525 रोही मौजा बडबिराना स्वीकृत दिनांक 16.06.1999 को निरस्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि नामान्तकरण संख्या 525 दिनांक 16.06.1999 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल की जावे निर्णय की प्रति तहसीलदार नोहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। व्यय अपील उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 29/04/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:49:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)